न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 07/2015 जीसीएमएस मु.न. 2015/00126

अनवान

1. मृतवफी प्रागा वल्द पाता जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी बाडी पटवार हल्का हरियाली के कायम मुकाम व वारिसदारान –

अ. मृतक मूंगाराम वल्द प्रागाराम के कायम मुकाम एवं वारिसदारान –

(i)– पवनदेवी पत्नि मूंगाराम

(ii)– सांवलाराम पुत्र मूंगाराम

(iii)– शैतान पुत्र मूंगाराम

(iv)– पारससिंह पुत्र मूंगाराम जातियांन रावणा राजपूत

ब– आसुराम पुत्र प्रागाराम

स– नानजीराम पुत्र प्रागाराम

द– भगाराम पुत्र प्रागाराम जातियांन रावणा राजपूत निवासीगण बाडी पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

वादीगण.......

1. वागसिंह पुत्र मंगलसिंह
2. भेरसिंह पुत्र मंगलसिंह
3. अनेककंवर बैवा मंगलसिंह जातियांन राजपूत निवासी हरियाली तहसील सांचोर।
4. जसीदेवी धर्मपत्नि तलसाराम जाति कलबी निवासी हरियाली तहसील सांचोर।
5. सरकार जरियें भूमिधारी तहसीलदार सांचोर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत इस्तकरारहक, खातेदारीएवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती करने

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955

सहपठित धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

तारीख रजः– 03.03.2015

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. वादी वकील श्री सदराम बिश्नोई, भगवतीप्रसाद, चेतन कुमार उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एक पक्षीय ।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23.09.2025

1. वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट व सहपठित धारा 136 आर. एल.आर एक्ट का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता प्रागाराम के खातेदारी के

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

खेत वाके सरहद मौजा हरियाली के नवसृर्जित ग्राम बाडी के खेत खसरा संख्या पुराना 129 रकबा 21 बीघा 10 बीस्वा व खसरा संख्या 138 रकबा 04 बीघा 02 बीस्वा जुमले रकबा 25 बीघा 12 बीस्वा भूमि आयीं हुई है तथा पुराना खेत खसरा संख्या 137 रकबा 33 बीघा 15 बीस्वा की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता–पति मंगलसिंह वल्द मानसिंह हिस्सा 1/2 व पृथ्वीसिंह, रिडमलसिंह का हिस्सा 1/2 की आई हुई थी। पुराने नक्शे अनुसार पुराना खेत खसरा संख्या 138 हम वादीगण की खातेदारी कटाण रास्ते के दक्षिण भाग में आई हुई है। तथा पुराना खेत खसरा संख्या 129 व 138 के मध्य से होकर कटाण रास्ता चलता है जो पुराने नक्शें अनुसार रास्ता रास्ता चलता था और वर्तमान में भी उसी कदर चल रहा है। पुराने खसरा संख्या 129 से नवीन खसरा संख्या 92, 93, 94 तथा पुराने खसरा संख्या 138 जो हमारी खातेदारी का था व हमारी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 129 के दक्षिणी भाग में रास्ते के दूसरी ओर था उक्त खसरा संख्या 138 को नयें सर्वे अधिकारियों ने खूद बूर्द कर दिया गया तथा इसका कुछ रकबा नयें खसरा संख्या 94 गलत तरीके से मिला दिया तथा एक नया खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर सृर्जित किया गया व नयें खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खाते में दर्ज कर दिया जबकि उक्त नयें खसरा संख्या 193/2116 पुराना खसरा संख्या 138 का ही भू–भाग है जो पुराना नक्शे व नयें नक्शें से स्पष्ट है परन्तु द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने नयें खसरा संख्या 193/2117 को रास्ते के दक्षिणी भाग में दर्शाया जबकि पुराने नक्शे अनुसार पुराना खसरा संख्या 138 रास्ते के दक्षिण भाग में है इस प्रकार नयें खसरा संख्या 193/2116 हम वादीगण की खातेदारी पुराना खसरा संख्याा 138 का ही भू–भाग होने के बावजूद उसे खूर्द बूर्द कर गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खाते में गलत तरके से दर्ज कर दिया व उक्त नयें खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर व खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन सडक में दर्शाया गया तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी रास्ता में दर्शाया गया इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारी द्वारा पुराने खसरा संख्या 138 की किस्म बारानी सोयम के स्थानपर नयें खसरा संख्या 193/2117, 193/2116 सृर्जित करते समय किस्म गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दी गई जो गलत है इस प्रकार हमारी खातेदारी का खेत खसरा संख्या पुराना 138 जहां हमारा कब्जा है जो पूर्व की भांति रोड के दक्षिण भाग में है जो पुराना नक्शें से स्पष्ट है। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने नये सृर्जित खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर जो हमारी खातेदारी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खेत हम वादीगण के पाडौस में होने से उक्त खसरा संख्या 193/2116 प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी में गलत तरीके से दर्ज कर दिया जबकि खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर पर हम वादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि है व पुराना रेकर्ड अनुसार हमारी खातेदारी है जो गलत ढंग से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने उनकी खातेदारी खसरा संख्या 311 रकबा 2.51 हैक्टर के साथ साथ खसरा संख्या 193/2116 जो हमारी खातेदारी थी जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने प्रतिवादी संख्या 04 को बैचान कर दी ऐसा बैचान दस्तावेज हम वादीगण के लिए शुरू से ही विधि विरुद्ध एवं प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता–पति मंगलसिंह पुत्र मानसिंह, पृथ्वीसिंह, रिडमलसिंह की खातेदारी के पुराना खेत खसरा संख्या 137 रकबा 33 बीघा 15 बीस्वा के नये सर्वे अनुसार नये खसरा संख्या 311, 313 व 193/2116 जुमले रकबा 5.46 हैक्टर सुर्जित हुयें जिसके अनुसार पुराना रेकर्ड में मिलान किया जावे तो खसरा संख्या 193/2116 हमारी खातेदारी का है। यह खसरा संख्या प्रतिवादी के खाते में जोडने पर प्रतिवादी के खाते में पुराना रकवा से ज्यादा भूमि हो जाती है इस प्रकार खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर जो मौका स्थिति व रेकर्ड मिलान से भी हमारी खातेदारी में है तथा हमारे कब्जे काश्त में है हम वादीगण का कब्जा रास्ते के दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला जालोर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी)

और था व वर्तमान में भी है। इसलिए खसरा संख्या 193/2116 हमारी खातेदारी का है परन्तु द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत ढंग से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी में दर्ज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 04 को बैंचान कर दिया, द्वितीय सेटलमेंट अधिकारी को किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था किस्म परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रकिया है जबकि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर किस्म गैर मुमकिन दर्ज किया है हम वादीगण के आपसी बंटवाडा हो जाने से खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि बंट अनुसार वादी आसुराम के हिस्से में खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.25 हैक्टर गैर मुमकिन सडक मुझ वादी नानजीराम के हिस्से में खसरा संख्या 2273/2117 रकबा 0.20 हैक्टर गैर मुमकिन सडक आयी हुई है, उक्त द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा हमारे खातेदारी की भूमि अवैध तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर किस्म परिवर्तन करने की जानकारी हमें राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने पर हुई। अन्त में वादीगण ने वाद में इस्तदुआ चाही कि ग्राम हरियाली के नवसृर्जित ग्राम बाडी के पुराना खसरा संख्या 129, 138 जो हमारी खातेदारी के थे जिसके खसरा संख्या 138 को द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने खूर्द बूर्द कर रोड के दक्षिण भाग में हमारी खातेदारी व पुश्तैनी कब्जा था उस स्थान पर सृर्जित खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर जो हम वादीगण के कब्जे की भूमि है व हमारी खातेदारी की पूर्व की भांति है उसे प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने उक्त खसरा संख्या को गलत तथा विधि विरूद्व तरीके से प्रतिवादी संख्या 04 को बैंचान कर दिया ऐसा बैंचान दस्तावेज हम वादीगण के लियें शुरू से ही विधि विरूद्व व शून्य प्रभावी होने से पुराना नक्शे अनुसार उक्त भूमि हम वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने की डिक्री सादिर फरमावें तथा पुराना खेत खसरा संख्या 138 जो किस्म बारानी सोयम थी किन्तु नयें सर्वे के दौरान नयें खसरा संख्या 193/2117 व 193/2116 की किस्म गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दी है जो किस्म परिवार्तन का अधिकार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारी को नहीं है गलत तथा बिना प्रकिया के किस्म परिवर्तन किया है। खसरा ख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि हम वादीगण के आपसी भाई बंट अनुसार मुझ वादी आसुराम के हिस्से में 193/2117 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गैरमुमकिन सडक व मुझ वादी नानजीराम के हिस्से में 2273/2117 रकबा 0.20 हैक्टर गैर मुमकिन सडक दर्ज है जो काबिल दूरूस्त है को उपरोक्तानुसार दर्ज कर पूर्व की भांति किस्म बारानी सोयम दर्ज करने की डिक्री सादिर फरमावें।

2. उक्त वादीगण का वाद बाद कार्यालय टिप्पणी दिनांक 03.03.2015 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के सम्मन तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वाद का प्रतिरोध नहीं करने की सूरत में वाद में विवाघक बिन्दू की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली शहादत वादी हेतु मूर्कर कर वादी के गवाह पी.डब्ल्यू–1 आसुराम, पी.डब्लयू–2 भगाराम, पी. डब्लयू.–3 तनेसिंह, पी.डब्लयू–4 भारमल के बयान लेखबद्ध [illegible] उपस्थित होकर अपने सशपथ पत्र बयानो में वाद के तथ्यों को दोहराते हुयें बयान दिये गये [illegible] पत्र पेश किया है, जिस पर लिखी सम्पूर्ण ईबारत की मुझें जानकारी है, [illegible] है, मैनें मेरे वाद के समर्थन में पुराना नक्शा ई.एक्स–1 नवीन नक्शा, ई.एक्स–2 मिलान क्षेत्रफल, ई.एक्स–3 खतौनी बंदोबस्त, ई.एक्स–4 जमाबंदी संवत् 2041 से 2048, ई.एक्स–5 आधार जमाबंदी, ई.एक्स–6 व 7 जमाबंदी संवत् 2070–73, ई.एक्स–8 जमाबंदी, ई.एक्स–9 व 10 नामान्तरकरण संख्या 592 प्रदर्शित करवाये गयें। खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर हम वादीगण की कब्जे की भूमि है तथा उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी है व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने प्रतिवादी संख्या 04 को गलत तरीके से बैचान की है व इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रकार द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 193/2117, 193/2216 की किस्म गैर मुमकिन सडक गलत रूप से दर्ज की है। खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.25 हैक्टर मुझ आसुराम के बंट में, नानजीराम के बंट में खसरा संख्या 2273/2117 रकबा 0.20 हैक्टर थी, वादी आसूराम व नानजी के हिस्से में जो गैर मुमकिन सडक दर्ज होने से काबिल दुरूस्त है। खसरा संख्या 193/2116 पुराने नक्शे खसरा संख्या 138 अनुसार सडक के दक्षिण के भाग में था, जिसें पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जावें इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–2 भगाराम के भी अपने सशपथ पत्र बयानो में बताया कि पुराना खसरा संख्या 138 जो हमारी खातेदारी का था तथा हमारी खातेदारी के खसरा संख्या 129 के दक्षिण भाग में रास्ते की दूसरी ओर था किन्तु द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 138 खूर्द बूर्द कर कुछ रकबा नयें खसरा संख्या 94 में गलत तरीके से मिला दिया तथा नया खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम दर्ज कर दी जबकि खसरा संख्या 193/2116 पुराने खसरा संख्या 138 का ही भू–भाग है तथा उक्त खसरा संख्या की किस्म अवैध तरीके से परिवर्तन कर दी इसी प्रकार गवाह पी.डब्लयू–3 तनेसिंह ने अपने सशपथ पत्र बयानो में बताया कि मैं वादीगण का पाडौसी हूं। वादीगण की रकबा 0.10 हैटर भूमि गलत तरीके से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के नाम दर्ज कर दी तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 04 को बैचान कर दी व कानून से परे जाकर किस्म परिवर्तन किया है, इसी प्रकार गवाह पी.डब्लयू–4 भारमल ने भी अपने सशपथ बयानों में वादीगण ने वाद का समर्थन किया।

4. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया वादीगण के खेत मौजा हरियाली वर्तमान राजस्व गांव बाडी में पुराना खेत खसरा संख्या 129 व 138 आयें हुयें है। जिसकी प्रथम मिसल बंदोबस्त 2012 से 2031 ई.एक्स–4 से प्रमाणित है तथा वादीगण के पुराने खेत खसरा संख्या 129 व 138 के मध्य राजकीय रास्त चलता है जो पुराने नक्शा अनुसार रास्ता चलता था और वर्तमान में भी उसी कदर चल रहा है, पुराने खसरा संख्या 129 से नवीन खसरा संख्या 92, 93, 94 नवसृजित हुयें जो प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल से साबित है तथा खसरा संख्या 138 से नवीन खेत खसरा संख्या 193/2117 व उक्त पुराना खसरा संख्या का कुछ भाग नवीन खसरा संख्या 94 में मिलाया गया से साबित है। खसरा संख्या 92, 93, 94 जो पुराना खसरा संख्या 129 हमारी खातेदारी का था जो हमारी खतोदारी का पुराना खेत खसरा संख्या 129 के दक्षिणी भाग में रास्ते की दूसरी ओर पुराना खसरा संख्या 138 था जो द्वितीय सेटलमेंट अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 138 को खूर्द बूर्द कर दिया गया तथा खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खाते में दर्ज कर दिया गया जबकि नयें खसरा संख्या 193/2116 जो पुराने खसरा संख्या 138 का ही भू–भाग है जो पुराने नक्शा व नयें नक्शे से स्पष्ट है, इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट वालो ने अपने अधिकार से परे जाकर विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खाते में दर्ज कर दी तथा खसरा संख्या 193/2117 व खसरा संख्या 193/2116 की किस्म बारानी सोयम होते हुयें किस्म गैर मुमकिन स[illegible] कर दी गई जो गलत है। द्वितीय सेटलमेंट विभाग वालों को इस प्रकार बिना विधिक प्रकिया अपनाये किस्म परिवर्तन करने का या खातेदारी अधिकार देने का कानूनन अधिकार नहीं था इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने आर.आर.टी. 2020(1) पेज संख्या 24 अभयसिंह बनाम सरकार राजस्थान व आर.आर.टी. 2020 (1) पेज संख्या 37 राम कल्याण एण्ड अदर्स बनाम कालु एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2018(2) पेज संख्या 1030 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भंवरलाल एण्ड अदर्स, आर.आर.डी. 1993 पेज संख्या 539 मनुवर खांन बनाम अजीज खांन की नजीरात पेश की और ध्यान आकर्षित करते हुयें बताया कि किस्म परिवर्तन करने का या राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का इन्द्राज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

का अधिकार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को नहीं था। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि जहां वाद का प्रतिरोध नहीं किया जाता है तो ऐसे वादों में डिक्री ही दी जाती है इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने डी.एन.जे. 2000–01 (राज.) स्पली. पेज संख्या 245 की नजीरात पेश कर ध्यान आकर्षित करवाया तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने अवैध तरीके से वादीगण की भूमि प्रतिवादी संख्या 04 को बैंचान की गई है जो ऐसा बैंचान दस्तोवज वादीगण के लिए शून्य व अवैध होने से उसे शून्य प्रभावी घतेषित किया जावें इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने आर.आर.डी 1997 पेज संख्या 486 पेश कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया । अन्त में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें।

5. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरात का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में विचारणीय बिन्दू इस प्रकार है कि :–

01– आया पुराना खेत खसरा संख्या 129 व 138 वादीगण की खातेदारी में दर्ज थे ?

02– आया पुराना खेत खसरा संख्या 129 व 138 के बीच रास्ता चलता था ?

03– आया पुराना खेत खसरा संख्या 129 से 92, 93, 94 व पुराना खेत खसरा संख्या 138 से नवीन खेत खसरा संख्या 193/2117, 193/2116 व खसरा संख्या 94 नवसृर्जित हुयें ?

04– आया पुराना नक्शा व नयें नक्शे में भिन्नता है ? इस संबंध में तहसीलदार सांचोर से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से यह पाया जाता है कि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 के अनुसार पुराना खेत खसरा संख्या 129 व 138 प्रागा वल्द पाता जो वादीगण के पिता/दादा के नाम दर्ज होना स्पष्टतया साबित है यानि उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि है।

6. इसी प्रकार पुराना खेत खसरा संख्या 129 व 138 के बीच पुराना नक्शा ई.एक्स–1 से यह स्पष्ट साबित है कि उक्त दोनो खसरा नम्बरान के बीच रास्ता दर्ज है व इसी प्रकार पुराना नक्शा व नया नक्शा से यह साबित है कि खसरा संख्या 138 जो रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ दर्शाया गया है किन्तु वर्तमान नक्शा में वादीगण के पुराना खेत खसरा संख्या 138 की भूमि से खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर नवसृर्जित नहीं हुयें है क्योंकि पुराना खसरा नम्बर 138 से उक्त खसरा नम्बर 193/2116 मौका फर्द अनुसार नवसर्जित होना नहीं पाया जाता है। उक्त खसरा संख्या प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम खातेदारी आधार जमाबंदी ई.एक्स–7 के अनुसार दर्ज होना तथा उक्त खसरा नम्बरान की किस्म गैर मुमकिन व इसी प्रकार उक्त पुराना खेत खसरा संख्या 138 के नवसृर्जित खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर नवसृर्जित कर तथा किस्म गैर मुमकिन दर्ज कर दी जो आधार जमाबंदी ई.एक्स–6 से स्पष्टतया साबित है। नवीन खेत खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर से नवसृर्जित खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.25 हैक्टर नवसृर्जित हुआ जिसकी किस्म भी गै[illegible] जो वादी आसुराम के नाम खातेदारी में दर्ज है इसी प्रकार उपरोक्त खसरा [illegible] 2273/2117 रकबा 0.20 हैक्टर नवसृर्जित हुयें, जिसकी किस्म गैरमुमकिन सड़क दर्ज होना जो [illegible] ई.एक्स. 8 व 10 से स्पष्टतया प्रमाणित है तथा उक्त खसरा वादी आसुराम व नानजीराम के खातेदारी में [illegible]होना साबित है तथा पुराने नक्शे व नयें नक्शे में भी भिन्नता होना स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

7. इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजी जिसमें नवीन खेत खसरा संख्या 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पुराना खेत खसरा संख्या 138 से नवसृर्जित होना नहीं पाया जाता है तथा उक्त खसरा संख्या वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 04 के खाता में दर्ज होना साबित है, इस

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

कारण खसरा नम्बर 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टर की खातेदारी दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है तथा नवीन खेत खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.45 हैक्टर की किस्म बारानी सोयम होते हुयें द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा कानून से विपरित जाकर उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन सड़क दर्ज करना स्पष्ट प्रमाणित है। अतः उपरोक्त विवेचन व विशलेषण से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाडी पटवार क्षेत्र हरियाली के खेत खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि व खेत खसरा संख्या 2273/2117 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि की किस्म गैर मुमकिन सडक की जगह बारानी सोयम दर्ज की जाकर उपरोक्तानुसार लगान तय कर राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार सांचोर को आदेश दिया जाता है।

पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें तथा डिक्री पर्चा जारी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

अनवान

1. मृतवफी प्रागा वल्द पाता जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी बाडी पटवार हल्का हरियाली के कायम मुकाम व वारिसदारान –

अ. मृतक मूंगाराम वल्द प्रागाराम के कायम मुकाम एवं वारिसदारान –

(i)– पवनदेवी पत्नि मूंगाराम
(ii)– सांवलाराम पुत्र मूंगाराम
(iii)– शैतान पुत्र मूंगाराम
(iv)– पारससिंह पुत्र मूंगाराम जातियांन रावणा राजपूत

ब– आसुराम पुत्र प्रागाराम
स– नानजीराम पुत्र प्रागाराम
द– भगाराम पुत्र प्रागाराम जातियांन रावणा राजपूत निवासीगण बाडी पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

वादीगण.......

1. वागसिंह पुत्र मंगलसिंह
2. भेरसिंह पुत्र मंगलसिंह
3. अनेककंवर बैवा मंगलसिंह जातियांन राजपूत निवासी हरियाली तहसील सांचोर।
4. जसीदेवी धर्मपत्नि तलसाराम जाति कलबी निवासी हरियाली तहसील सांचोर।
5. सरकार जरियें भूमिधारी तहसीलदार सांचोर

प्रतिवादीगण.....

अन्तर्गत धारा 40,53,88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 07/2015

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रुबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री भगवती प्रसाद उपस्थित, प्रतिवादी सं. 1 से 4 एकपक्षीय मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बाडी पटवार क्षेत्र हरियाली के खेत खसरा संख्या 193/2117 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि व खेत खसरा संख्या 2273/2117 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि की किस्म गैर मुमकिन सडक की जगह बारानी सोयम दर्ज की जाकर उपरोक्तानुसार लगान तय कर राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार सांचोर को [illegible] दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	0	स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	1	0	जवाबदावा	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महनताना वकील	0	0	महनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमीश्नर	0	0	फीस कमीश्नर	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुतफरिक	0	0	मुतफरिक	0	0
मौजाना	4	0	मौजाना	0	0

सहायक कलेक्टर
सांचोर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested